



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 32281 SEIAA/2022

Date: 2/3/22

प्रति,

श्रीमती प्राची चंद्राकर

निवासी-वार्ड नं. 3, समता कॉलोनी, रायपुर

जिला रायपुर (छ.ग.)

विषय:-प्रकरण क्र. 8961/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती प्राची चंद्राकर निवासी-वार्ड नं. 3, समता कॉलोनी, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा पत्थर खदान एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 01, ग्राम बेनेगोव, तहसील - किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स राजाराम कन्स्ट्रक्शन, सोमता, जिला जालोर (राज.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 705 वी बैठक दिनांक 15.2.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में निहित वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय छायाचित्र अक्षांश-देशांतर उल्लेखित कर SEIAA कार्यालय को प्रेषित करें। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में निहित वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय छायाचित्र अक्षांश-देशांतर उल्लेखित कर SEIAA कार्यालय को प्रेषित करें। तदनुसार प्रकरण विचारार्थ सिया समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(आलोक नायक)
प्राची अधिकारी